| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

21/11/2022

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 07 ने मौजा गोदन तहसील आहोर में खसरा नम्बर 326, 402, 403, 404 कुल रकबा 5.40 हैक्टर खरीदी थी। खसरा संख्या 991/327 रकबा 0.49 हैक्टर की भूमि में 1/2 हिस्से पर अपीलाण्ट संख्या 01 से 04 खातेदार है। शेष 1/2 भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 7 राणाराम खातेदार है। खसरा संख्या 332 गैर मुमकिन नदी दर्ज है। जिसे पर रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 07 ने कब्जा कर अनार की फसल बोई है। जिस पर तहसीलदार आहोर द्वारा धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत दर्ज कर मौके पर पैमाईश कर रेस्पोडेण्ट्स का अतिक्रमण बताया, इस पर रेस्पोडेण्ट ने एक वाद सहायक कलेक्टर, आहोर में दिनांक 01.06.2020 को पेश किया। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा जवाब पेश किया गया। तहसीलदार आहोर द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा स्थगन आदेश पारित कर अपीलाण्ट को मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये। दिनांक 05.08.2022 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आदेश पर दिनांक 25.08.2022 को पत्रावली बहस में रखी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि में दखलंदाजी नहीं करने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के अंतरिम आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेण्ट ने जो जमीन खरीदी है उसका हक उसके पास में है। खसरा संख्या 332 गैर मुमकिन नदी पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को अपास्त फरमाया जावे।

केवियटकर्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि ग्राम गोदन तहसील आहोर के खसरा नम्बर 326, 402, 403, 404 कुल रकबा 5.40 हैक्टर रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 07 की खातेदारी भूमि है व खसरा नम्बर 991/327 रकबा 0.49 हैक्टेयर कृषि भूमि में अपीलाण्ट को सम्पूर्ण भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त है। लेकिन राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेण्ट संख्या 07 राणाराम का नाम केवल 1/2 हिस्से पर दर्ज है। भू–प्रबंध अधिकारियों ने सेटलमेंट के दौरान भूमि कम कर दी गयी है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 15/2020 के निर्णय दिनांक 05.08.2022 में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया था कि वे आदेश 1 नियम 10 के तहत पेश प्रार्थना पत्र का विधि सम्मत निस्तारण कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकट आया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.09.2022 में आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में खसरा नम्बर 332 गै0 मु0 नदी की भूमि के सम्बंध में अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग से स्वतंत्र रिपोर्ट लेने का हवाला दिया जाना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि यह भूमी राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 नदी दर्ज होकर राजकीय भूमि है। जो पत्रावली पर पूर्व में तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही से प्रमाणित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 20/2020 बउनवान नरेन्द्र कुमार बनाम सरकार में पारित अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 07.09.2022 को अपास्त किया जाता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर आहोर को आदेश दिया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 20/2020 के सम्बंध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए अधिकतम 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली